[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 16/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 मार्च, 2019

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 41 के उपनियम (1) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"*स्पष्टीकरण:*--इस उपनियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "आस्ति का मूल्य" से कारबार की संपूर्ण आस्तियों का मूल्य अभिप्रेत है, चाहे उन पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है या नहीं ।"।

3. उक्त नियमों में, 1 अप्रैल 2019 से, नियम 42 में,-

(क) उप नियम (1) में,-

क. खण्ड (च) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण का समावेश किया जाएगा, अर्थात्,-

"*स्पष्टीकरण:* इस उपवाक्य के उद्देश्य के लिए एतत द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, T_4 का मूल्य निर्माण के चरण के दौरान शून्य होगा क्योंकि जो अपार्टमेंट, पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी किये जाने की तारीख या प्रोजेक्ट के प्रथम कब्जे की तारीख, इनमे से जो भी पहले हो, या उसके पहले बुक किये गये हों और जो उक्त तारीख तक बुक न किये गये हों, के निर्माण में इनपुट और इनपुट सेवाओं का प्रयोग एक ही प्रकार का होगा।

ख. खण्ड (छ) में, "फार्म जीएसटीआर-2" शब्दों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित " और फार्म जीएसटीआर-3ख के सारांश स्तर पर" शब्दों और अंकों को समावेशित किया जाएगा;

ग. खण्ड (ज) में,-

i. “(छ) ” कोष्ठकों और शब्द के लिए, “(च)” कोष्ठकों और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

घ. खण्ड (झ) में,-

i. निम्नलिखित परंतुक का विद्यमान परंतुक से पूर्व, समावेश किया जाएगा, अर्थात्,-

“बशर्ते कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, किसी कर अवधि के लिए 'E/F' के मूल्य की गणना निम्नानुसार E और F के मूल्य लेते हुए प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग की जाएगी;

E= अपार्टमेंट्स का समग्र कालीन क्षेत्र, जिसका निर्माण अपार्टमेंट्स के कर जमा समग्र कालीन क्षेत्र से मुक्त है, जिसका निर्माण कर से मुक्त नहीं है, लेकिन पूर्णता प्रमाण पत्र या पहले कब्जे, जो भी पहले हो, के मुद्दे के बाद बेचे जाने वाले प्रमोटर द्वारा पहचान किया गया हो;

F= प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट्स का कुल कालीन क्षेत्र;

स्पष्टीकरण 1: कर अवधि, जिसमें पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना या प्रोजेक्ट का पहला व्यवसाय होता है, में, E के मूल्य में अपार्टमेंट्स, जो कि पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे, जो भी पहले हो, की तारीख तक बुक नहीं किए गए हैं, का कुल कालीन क्षेत्र भी शामिल होगा ;

स्पष्टीकरण 2: अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), जिसे सा.का.नि. 690(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के पैराग्राफ 4 के स्पष्टीकरण (iv) की दृष्टि से “E” के मूल्य की गणना में उस अपार्टमेंट्स के कार्पेट एरिया को भी शामिल किया जाएगा जिसके निर्माण पर अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), यथा संशोधित, जिसे सा.का.नि. 690(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, की सारणी के क्रम सं. 3 के समक्ष

के मद (i), (ia), (ib), (ic) या (id) में विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान किया जाता है या भुगतान किया जाना चाहिए।

ii. विद्यमान परंतुक में, "बशर्ते" शब्द के लिए, "बशर्ते और आगे" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ङ. खण्ड (l) के लिए, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(l) **'C3', 'D1'** और **'D2'** राशि की केंद्रीय कर**,** राज्य कर**,** संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अलग से गणना की जाएगी और प्ररूप जीएसटीआर**-3**ख में घोषणा या प्ररूप जीएसटी डीआरसी**-03** के माध्यम से की जाएगी;";

च. खण्ड (ङ) में, "पंजीकृत व्यक्ति की आउटपुट कर देयता में जोड़ा गया" शब्दों के लिए, "प्ररूप जीएसटीआर**-3**ख में घोषणा या प्ररूप जीएसटी डीआरसी**-03** के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप नियम (2) में, "इनपुट टैक्स क्रेडिट" शब्दों के लिए, "उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले को छोड़कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप नियम (2) के खण्ड (क) में, "पंजीकृत व्यक्ति की आउटपुट कर देयता में जोड़ा गया" शब्दों के लिए, "प्ररूप जीएसटीआर**-3**ख में घोषणा या प्ररूप जीएसटी डीआरसी**-03** के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) उप नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप नियमों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्,-

"(3) उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, उप-नियम (1) के तहत निर्धारित इनपुट टैक्स की अंतिम गणना की जाएगी, ऐसी प्रत्येक प्रोजेक्ट से संबंधित जिनमें 1 अप्रैल, 2019 को हुए कर में दरों के परिवर्तन के कारण, अधिसूचना सं. 11/2017 -केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई बदलाव नहीं आया है 1 जुलाई, 2017, या प्रोजेक्ट के शुरू होने की तिथि, जो भी बाद में है, से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने या पहले कब्जे की तिथि,जो भी पहले हो, उस वित्तीय वर्ष जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो या प्रोजेक्ट का पहल कब्जा लिया गया हो, के अग्रिम वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह तक, उक्त उप-नियम के अनुरूप है की जाएगी, इस संशोधन के साथ कि E / F के मूल्य की गणना निम्नलिखित E और F के मान से की जाएगी:

E = अपार्टमेंट का एग्रीगेट कार्पेट एरिया, जिसका निर्माण अपार्टमेंट के टैक्स प्लस एग्रीगेट कार्पेट एरिया से छूट देता है, जिसका निर्माण टैक्स से छूट नहीं है, लेकिन जिसे पूरा होने के प्रमाण पत्र या पहले कब्जे के जारी होने की तारीख तक बुक नहीं किया गया है प्रोजेक्ट का, जो भी पहले हो:

F = प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र;

तथा,-

(क) जहां 'D1' और 'D2' के संबंध में अंत में गणना की गई राशियों का कुल योग 'D1' और 'D2' के संबंध में उप-नियम (1) के तहत निर्धारित राशियों के कुल योग से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि वित्तीय वर्ष, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या प्रोजेक्ट का पहला क़ब्ज़ा होता है, की समाप्ति के बाद के सितंबर के महीने तक, प्ररूप जीएसटीआर**-3**ख में घोषणा या प्ररूप जीएसटी डीआरसी**-03** के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित किया जाना है, और उक्त व्यक्ति धारा 50 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, अग्रिम वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से भुगतान की तारीख तक; या

(ख) जहां "D1' और "D2' के संबंध में उप-नियम (1) के तहत निर्धारित राशि का कुल योग "D1' और "D2' के संबंध में अंतिम गणना से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट के रूप में, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या प्रोजेक्ट का पहला क़ब्ज़ा होता है, की समाप्ति के बाद के सितंबर के महीने तक के रीटर्न में किया जायेगा।

(4) अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, उप-नियम (1) के तहत निर्धारित इनपुट टैक्स की अंतिम गणना आवासीय अचल संपत्ति के अलावा प्रत्येक प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक भाग के लिए की जाएगी, जिनमें 1 अप्रैल, 2019 को हुए कर में दरों के परिवर्तन के कारण, अधिसूचना सं. 11/2017 -केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बदलाव आया है, 1 जुलाई, 2017, या प्रोजेक्ट के शुरू होने की तिथि, जो भी बाद में है, से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने या पहले कब्जे की तिथि,जो भी पहले हो, उस वित्तीय वर्ष जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो या प्रोजेक्ट का पहल कब्जा लिया गया हो, के अग्रिम वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह तक, निम्नलिखित तरीके से की जाएगी, -

(क) प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक हिस्से पर समान क्रेडिट की कुल राशि ($C3_{aggregate_comm}$) की गणना निम्नानुसार की जाएगी,

$C3_{aggregate_comm}$ = [उप-नियम (1) के तहत निर्धारित C3 की राशियों की कुल राशि 1 जुलाई, 2017 से शुरू होकर 31 मार्च, 2019 तक के लिए x (A_C / A_T)] + [उप-नियम (1) के तहत निर्धारित C3 की राशियों की कुल राशि जो कि 1 अप्रैल, 2019 से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने तक अथवा प्रोजेक्ट के पहले कब्जे की तारीख तक, जो भी पहले हो]

जहां, -

A_C= प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र

A_T= प्रोजेक्ट में सभी अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र

(ख) प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक हिस्से पर अंतिम पात्र आम क्रेडिट की राशि ($C3_{final_comm}$) की गणना निम्नानुसार की जाएगी

$C3_{final_comm} = C3_{aggregate_comm} \times (E / F)$

जहां, -

E = वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कुल कालीन क्षेत्र जो पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे की तारीख तक बुक नहीं किया गया है, जो भी पहले हो।

F = A_C = प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र

(ग) जहां $C3_{aggregate_comm}$ $C3_{final_comm}$से अधिक है, इस तरह की अधिकता वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितंबर माह में, प्ररूप जीएसटीआर**-3**ख में घोषणा या प्ररूप जीएसटी डीआरसी**-03** के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित किया जाना है, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है या पहला कब्जा हो । प्रोजेक्ट का स्थान लेता है और उक्त व्यक्ति, अग्रिम वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से लेकर भुगतान की तारीखके लिए धारा 50 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(घ) जहां, $C3_{final_comm}$, $C3_{aggregate_comm}$ से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा उस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट के रूप में, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या प्रोजेक्ट का पहला क़ब्ज़ा होता है, की समाप्ति के बाद के सितंबर के महीने तक के रीटर्न में किया जायेगा।

(5) उप-नियम (1) के तहत निर्धारित इनपुट टैक्स की अंतिम गणना उन आरआरईपी के पूरा होने या पहले कब्जे पर, जिनमें 1 अप्रैल, 2019 को हुए कर में दरों के परिवर्तन के कारण, अधिसूचना सं. 11/2017 -केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बदलाव आया है, करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(6) जहां किसी भी इनपुट या इनपुट सेवा का उपयोग एक से अधिक प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, ऐसे इनपुट या इनपुट सेवा के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रत्येक प्रोजेक्ट को उचित आधार पर सौंपे जाएंगे और उप-नियम (3) के अनुसार प्रत्येक प्रोजेक्ट से संबंधित क्रेडिट उत्क्रमण किया जाएगा।"।

4. उक्त नियमों में, 1 अप्रैल 2019 से, नियम 43 में, -

(i) उप नियम (1) में, -

(क) उपवाक्य (क) में, शब्द और आंकड़े "फॉर्म जीएसटीआर -2" के बाद, निम्नलिखित शब्द और आंकड़े "और फॉर्म जीएसटीआर -3ख" प्रतिस्थपित किया जाएगा ;

(ख)- उपवाक्य (ख) में, शब्द और आंकड़े "फॉर्म जीएसटीआर -2" के बाद, निम्नलिखित शब्द और आंकड़े "और फॉर्म जीएसटीआर -3ख " प्रतिस्थपित किया जाएगा;

(ग) उपवाक्य (ख) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थपित किया जाएगा यथा -
"स्पष्टीकरण: इस उपवाक्य के उद्देश्य के लिए एतत द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, पूँजीगत वस्तुओं के संबंध में इनपुट टैक्स की राशि जिसका उपयोग विशेष रूप से यारियायती आपूर्ति से भिन्न अन्य आपूर्ति प्रभावित करने के लिए जिसमें शून्य रेटेड आपूर्ति आती है, उपयोग निर्माण चरण के दौरान शून्य होगा, क्योंकि पूँजीगत वस्तुओं का उपयोग पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि या प्रोजेक्ट का पहला कब्जा, जो भी पहले हो, से पहले बुक किए गए अपार्टमेंट के निर्माण के लिए तथा जिन्हें उक्त तिथि तक बुक नहीं किया गया हो के लिए समान तौर पर किया जाएगा ।"

(घ) उपवाक्य (छ) में, -

(i) "F' जो कि कुल कारोबार है" के बाद, "राज्य में" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) मौजूदा परंतुक से पहले निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा :
"बशर्ते अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के लिए, कर अवधि के लिए 'E/F' के मूल्य की गणना प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अलग से की जाएगी, E और F का मान्य इस प्रकार है ;
E = अपार्टमेंट का एग्रीगेट कार्पेट एरिया, जिसका निर्माण अपार्टमेंट के टैक्स प्लस एग्रीगेट कार्पेट एरिया से छूट देता है, जिसका निर्माण टैक्स से छूट नहीं है, लेकिन जिसे प्रोजेक्ट के पूरा होने के प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख या पहले कब्जे, जो भी पहले हो, तक बुक नहीं किया गया है,;
F = प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र;
स्पष्टीकरण 1: कर अवधि में, जिसमें पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे में होना, E के मूल्य में अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र भी शामिल होगा, जो पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख तक बुक नहीं किया गया है या प्रोजेक्ट पर पहला कब्जा हो गया हो, जो भी पहले हो;

स्पष्टीकरण 2: अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), जिसे सा.का.नि. 690(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के पैराग्राफ 4 के स्पष्टीकरण (iv) की दृष्टि से "E" के मूल्य की गणना में उस अपार्टमेंट्स के कार्पेट एरिया को भी शामिल किया

जाएगा जिसके निर्माण पर अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), यथा संशोधित, जिसे सा.का.नि. 690(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, की सारणी के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (ia), (ib), (ic) या (id) में विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान किया जाता है या भुगतान किया जाना चाहिए।";

(iii) मौजूदा परंतुक में, "बशर्ते" शब्द के स्थान पर, "परन्तुक यह कि" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) उपवाक्य (ज) के बाद, निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -

"(I) Te की गणना केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर और एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अलग से की जाएगी और प्ररूप जीएसटीआर-3ख में घोषित की जाएगी।"

(ii) निम्नलिखित उप नियमों के बाद उप नियम (2) को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा -

"(2) अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 5 (ख) के अंतर्गत की गई सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, छूट दी गई आपूर्ति (T_e^{final}) के लिए सामान्य समान क्रेडिट की राशि की गणना प्रोजेक्ट के शुरू होने से पूरी अवधि के लिए या 1.7.2017, जो भी बाद में हो से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने या पहले कब्जे, जो भी पहले हो, प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग, वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितंबर के महीने के लिए रिटर्न की प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पहले जिसमें पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है या पहला कब्ज़ा निम्नानुसार अंतिम रूप से कि जाएगी:

T_e^{final}= [(E1 + E2 + E3) / F] X T_c^{final},

जहां,-

E1 = अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र, जिसका निर्माण कर से मुक्त है

E2 = अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र, जिसकी आपूर्ति आंशिक रूप से छूट और आंशिक रूप से कर योग्य है, परिणामस्वरूप 01.04.2019 को कर की दरों में परिवर्तन किया जाएगा, जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी, -

E2 = [ऐसे अपार्टमेंट का कालीन क्षेत्र] x [V1 / (V1 + V2)], -

जहां,-

V1 ऐसे अपार्टमेंट की आपूर्ति का कुल मूल्य है जो कर से मुक्त था; तथा

V2 ऐसे अपार्टमेंट की आपूर्ति का कुल मूल्य है जो कर योग्य था

E3 = अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र, जिसका निर्माण कर से मुक्त नहीं है, लेकिन पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे की तारीख तक बुक नहीं किया गया है, जो भी पहले हो:

F = प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट के कुल कालीन क्षेत्र;

T_c^{final} = प्रोजेक्ट में प्रयुक्त सभी पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में A^{final} का समुच्चय और प्रत्येक पूँजीगत वस्तुओं के लिए A^{final} की गणना निम्नानुसार होगी,

A^{final} = Ax (जितने महीनों के लिए पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा / 60)

तथा,-

(क) जहां T_e^{final} का मूल्य उप-नियम (1) के तहत प्रत्येक कर अवधि के लिए निर्धारित Te की मात्रा से अधिक है, इस तरह की अधिकता महीने के बाद के महीने में पंजीकृत व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व सितम्बर के बाद नहीं जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष के अंत में, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या पहली कब्जा प्रोजेक्ट की जगह लेता है और उक्त व्यक्ति धारा 50 उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। भुगतान की तारीख अग्रिम वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से आरम्भ होगी ; या

(ख) जहां उप-नियम (1) के तहत प्रत्येक कर अवधि के लिए निर्धारित से की मात्राओं का एकत्रीकरण T_e^{final} से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट के रूप में एक महीने के लिए कर सकेगा, जो कि जो बाद के सितंबर महीने के बाद नहीं होगा। वित्तीय वर्ष का अंत जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या प्रोजेक्ट पर पहला कब्जाहो गया हो।

स्पष्टीकरण ।- T_e^{final} की गणना के प्रयोजन से, महीने का हिस्सा एक पूरे महीने के रूप में माना जाएगा।

(3) केंद्रीय टैक्स, राज्य कर, केंद्रशासित प्रदेश कर और एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए T_e^{final} और T_c^{final} सभी की अलग से गणना की जानी चाहिए।

(4) जहां किसी भी पूंजीगत सामान का उपयोग एक से अधिक प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, ऐसे पूंजीगत सामान के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रत्येक प्रोजेक्ट को उचित आधार पर सौंपे जाएंगे और प्रत्येक प्रोजेक्ट से संबंधित क्रेडिट उत्क्रमण उप-नियम (2) के अनुसार किया जाएगा।

(5) जहां प्रोजेक्ट के लिए उपयोग किए गए किसी भी पूंजीगत सामान का उपयोग प्रोजेक्ट के पूरा होने पर शेष रहता है, शेष जीवन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उस प्रोजेक्ट पर लगाया जाएगा, जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का आगे भी उपयोग किया जाता है।";

(iii) स्पष्टीकरण को अब "स्पष्टीकरण 1" लिखा जायेगा और इस प्रकार लिखे गये स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतः स्थापित किया जायेगा।

"स्पष्टीकरण 2: नियम 42 और इस नियम के लिए, -

(i) "अपार्टमेंट" शब्द का अर्थ वही होगा जो कि (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्टि किया गया है।

(ii) " प्रोजेक्ट" शब्द का अर्थ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या आवासीय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होगा।

(iii) "रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरईपी)" शब्द का अर्थ वही होगा जो कि (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्टि किया गया है।

(iv) "आवासीय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरआरईपी)" शब्द का अर्थ एक आरईपी होगा, जिसमें वाणिज्यिक अपार्टमेंट के कार्पेट क्षेत्र आरईपी में सभी अपार्टमेंट के कुल कार्पेट क्षेत्र का 15% से अधिक नहीं है।

(v) "प्रवर्तक (प्रमोटर)" शब्द का अर्थ वही होगा जो कि (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।

(vi) "आवासीय अपार्टमेंट" शब्द का अर्थ आवासीय उपयोग के लिए अभिप्रेत अपार्टमेंट जैसा कि रेरा या सक्षम प्राधिकारी को घोषित किया गया है;

(vii) "वाणिज्यिक अपार्टमेंट" का अर्थ वही होगा जो कि आवासीय अपार्टमेंट से भिन्न एक अपार्टमेंट होगा;

(viii) "सक्षम प्राधिकारी" की परिभाषा "आवासीय अपार्टमेंट" में दिखाई देती है, से अभिप्रायः ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी से है जिसका सृजन या स्थापना ऐसे किसी कानून के अंतर्गत की गयी हो जो उस समय केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के द्वारा लागू किये गये हों, और जो कि अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे भू-

खण्ड पर प्राधिकार रखता हो और जिसको ऐसे अचल संपत्ति पर डेवलपमेंट कार्य की अनुमति देने की शक्ति प्राप्त हो।

(ix) "रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण" शब्द का अर्थ केंद्र या राज्य सरकार द्वारा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 की संख्या 16) की धारा 20 (1) के तहत स्थापित प्राधिकरण होगा।

(x) "कालीन क्षेत्र (कार्पेट एरिया)" शब्द का अर्थ वही है जो कि (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।

(xi) “एक अपार्टमेंट जो पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि पर बुक किया गया हो या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे” का मतलब होगा एक अपार्टमेंट जो निम्नलिखित सभी तीन शर्तों को पूरा करता हो, यथा-

(क) अपार्टमेंट सेवा के निर्माण की आपूर्ति का हिस्सा उक्त तिथि को या उससे पहले आपूर्ति का समय है; तथा

(ख) उक्त तिथि को या उससे पहले पंजीकृत व्यक्ति के बैंक खाते में कम से कम एक किस्त के बराबर की राशि जमा करवा दी गई हो;

(ग) उक्त तिथि को अथवा उससे पहले आवंटन पत्र या बिक्री समझौते या अपार्टमेंट के किसी अन्य समान दस्तावेज की साक्ष्य बुकिंग जारी कर दी गई हो ।

(xii) शब्द "चल रही प्रोजेक्ट" शब्दावली का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, यथा संशोधित, जिसे सा.का.नि. सं. 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, में दिया गया हो।

(xiii) “01.04.2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली प्रोजेक्ट” शब्दावली का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, यथा संशोधित, जिसे सा.का.नि. सं. 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, में दिया गया हो।” ।

5. उक्त नियमों में नियम 88 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“**नियम 88क. इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का आदेश–**एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का प्रथमत: उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए किया जाएगा और शेष रकम यदि कोई है तो उसका उपयोग, यथास्थिति, केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर, इसी क्रम में किया जाएगा :

परंतु केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के लिए केवल एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले पूर्णतया उपयोग किए जाने के पश्चात् किया जाएगा ।"।

6. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों में नियम 100 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**100. कतिपय मामलों में निर्धारण–**(1) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-13** में जारी किया जाएगा और उसका सारांश **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07** में इलैक्ट्रानिक रूप में अपलोड किया जाएगा ।

(2) समुचित अधिकारी कराधेय व्यक्ति को धारा 63 के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-14** में एक सूचना जारी करेगा, जिसमें वह आधार अंतर्विष्ट होंगे जिनके आधार पर सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारण किए जाने का प्रस्ताव है तथा उसके सारांश की तामील इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01** में भी की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को उसका प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय अनुज्ञात करने के पश्चात्, **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-15** में आदेश पारित करेगा और उसके सारांश को इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07** में अपलोड किया जाएगा ।

(3) धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-16** में जारी किया जाएगा और उसके सारांश को इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07** में अपलोड किया जाएगा ।

(4) धारा 64 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण करने के लिए **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-17** में आवेदन कर सकेगा ।

(5) यथास्थिति, प्रतिसंहरण आदेश या धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन अस्वीकार करने का आदेश **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-18** में जारी किया जाएगा ।"।

7. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के नियम 142 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**142. अधिनियम के अधीन रकमों की मांग के लिए सूचना और आदेश–**(1) समुचित अधिकारी निम्नलिखित के साथ,--

(क) धारा 52 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन जारी सूचना के साथ इलैक्ट्रानिक रूप में उसके सारांश की **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01** में तामील करते हुए,

(ख) धारा 73 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन विवरण, इलैक्ट्रानिक रूप में उसके सारांश की, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01** में तामील करते हुए,

उसमें संदेय रकम के ब्यौरों को विनिर्दिष्ट करेगा ।

(2) जहां सूचना या विवरण की तामील से पूर्व कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, कर, ब्याज और धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार शास्ति का संदाय कर देता है या कोई व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य शोध्य रकम का संदाय कर देता है तो वह समुचित अधिकारी को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** में ऐसे संदाय से सूचित करेगा और समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए संदाय की अभिस्वीकृति, स्वीकृति **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04** में जारी करेगा ।

(3) जहां कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन, यथास्थिति, कर, ब्याज और शास्ति का नियम (1) के अधीन सूचना की तामील के 30 दिन के भीतर धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन संदाय करता है या संबंधित व्यक्ति धारा 129 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम का माल और प्रवहन को निरुद्ध करने या जब्त करने के 14 दिन के भीतर संदाय करता है तो वह ऐसे संदाय की समुचित व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** में संसूचना देगा तथा समुचित अधिकारी उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाहियों को समाप्त करने का **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05** में आदेश जारी करेगा ।

(4) धारा 73 की उपधारा (9), धारा 74 की उपधारा (9) या धारा 76 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन या किसी धारा के अधीन जारी किसी सूचना का प्रत्युत्तर, जिसके सारांश को उपनियम (1) के अधीन **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01** में इलैक्ट्रानिक रूप में अपलोड किया गया है, को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-06** में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(5) धारा 52 या धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 75 या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन जारी आदेश के सारांश को उसमें कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और संदेय शास्ति की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07** में इलैक्ट्रानिक रूप से अपलोड किया जाएगा ।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश को वसूली का आदेश माना जाएगा ।

(7) जहां आदेश परिशोधन आदेश को धारा 161 के उपबंधों के अनुसार पारित किया गया है या सिस्टम में अपलोड किए गए आदेश का प्रतिसंहरण कर लिया गया है, परिशोधन आदेश या परिसंहरण आदेश के सारांश को समुचित अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-08** में अपलोड किया जाएगा ।"।

8. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों में **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी- 01

*[*नियम *100 (2)* और नियम *142(1)(क)* देखें*]*

संदर्भ सं.: तारीख:

सेवा में,

_____जीएसटीआईएन/

अस्थाई पहचान

---------- नाम

_____पता

कर अवधि ---------- वि.व. ---------- अधिनियम -

धारा / उपधारा जिसके अधीन एससीएन जारी किया गया **-**

एससीएन संदर्भ सं. ---- तारीख ----

हेतुक दर्शित करने संबंधी सूचना का सार

(क) मामले के संक्षिप्त तथ्य :

(ख) आधार :

(ग) कर और अन्य देय :

(रकम रुपए में)

क्र.सं.	कर दरe	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
			से	तक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

टिप्पण **-**

1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।
2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है ।
3. प्रदाय का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन की गई है ।"।

9. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 02** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**प्ररूप जीएसटी डीआरसी -02**

*[*नियम *142(1)(ख)* देखें*]*

संदर्भ सं.: तारीख:

सेवा में,

_____ डीएसटीआईएन/पहचान

---------- नाम

_____ पता

कर अवधि :

वि.व. :

धारा /उपधारा जिसके अधीन विवरण जारी किया गया :

एससीएन संदर्भ सं. ------- तारीख -

विवरण संदर्भ सं. ---- तारीख -

विवरण का सार **:**

(क) मामले के संक्षिप्त तथ्य :

(ख) आधार :

(ग) कर और अन्य देय :

(रकम रुपए में)

क्र.सं.	कर दरe	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
			से	तक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
योग											योग

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

टिप्पण **-**

(1) केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।

(2) उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है ।

(3) प्रदाय का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन की गई है ।" ।

10. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 07** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**प्ररूप जीएसटी डीआरसी -0**7

*[*नियम 100*(*1), 100(2), 100(3) और 142(5) देखें*]*

संदर्भ सं.: तारीख:

1. आदेश के ब्यौरे :

(क) आदेश सं.

(ख) आदेश की तारीख

(ग) वित्तीय वर्ष

(घ) कर अवधि .....से .....तक

2. अंतर्वलित निर्गमन

3. माल/सेवाओं का विवरण (यदि लागू हों)

क्र.सं.	एचएसएन कोड	विवरण

4. अधिनियम की धारा (धाराएं) जिसके अधीन मांग सृजित की गई है :

5. मांग के ब्यौरे :

(रकम रुपए में)

क्र.सं.	कर दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
			से	तक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
योग											योग

आपको <तारीख> तक संदाय करने का निदेश दिया जाता है जिसके असफल होने पर आपके विरुद्ध बकाया देय की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

सेवा में,

.....(जीएसटीआईएन/पहचान)

.....नाम

..... (पता)

टिप्पण -

1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।
2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है ।
3. प्रदाय का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी

अधिनियम के अधीन सृजित की गई है ।"।

11. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 08** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी **- 08**

[नियम 142(7) देखें]

संदर्भ सं.: तारीख:

परिशुद्धि /वापसी आदेश का सार

1. आदेश की विशिष्टियां:	
(क) वित्तीय वर्ष, यदि लागू हो	
(ख) कर अवधि, यदि कोई हो	से --- तक ----
(ग) धारा जिसके अधीन आदेश पारित किया गया है	
(घ) मूल आदेश सं..	
(ङ) मूल आदेश की तारीख	
(च) परिशुद्धि आदेश सं.	
(छ) परिशुद्धि आदेश की तारीख	
(ज) एआरएन, यदि परिशुद्धि के लिए लागू हो	
(झ) एआरएन की तारीख	

2. ऊपर निर्दिष्ट आदेश की परिशुद्धि के लिए आपके आवेदन की जांच की गई ☐

3. यह मेरे संज्ञान में आया है कि ऊपरोक्त आदेश में परिशुद्धि अपेक्षित है ☐
(संलग्न उपाबंध के अनुसार परिशुद्धि के कारण)

4. ऊपर निर्दिष्ट आदेश (धारा 129 के अधीन जारी) को वापस लिए जाने की अपेक्षा ☐

5. माल / सेवाओं का विवरण (यदि लागू हो) :

क्र.सं.	एचएसएन कोड	विवरण

6. अधिनियम की धारा जिसके अधीन मांग का सृजन किया गया है:

7. परिशुद्धि के पश्चात् मांग के ब्यौरे, यदि कोई हों:

(रकम रुपए में)

क्र.सं.	कर दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
			से	तक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
योग											

आपको <तारीख> तक संदाय करने का निदेश दिया जाता है जिसके असफल होने पर आपके विरुद्ध बकाया देय की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

सेवा में,

.....(जीएसटीआईएन/पहचान)

.....नाम

..... (पता)

टिप्पण -

1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।
2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है ।
3. प्रदाय का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन सृजित की गई है ।
4. क्रम सं. 7 पर की मांग सारणी को नहीं भरा जाएगा, यदि धारा 129 के अधीन जारी आदेश वापस ले लिया गया है ।"।

12. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 13** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी एएसएमटी - 13

*[*नियम *100(1)*देखें*]*

संदर्भ सं.: तारीख:

To

_____ (जीएसटी/पहचान)

_____ नाम

_____ (पता)

कर अवधि : वि.व. :

विवरणी का प्रकार :

सूचना संदर्भ सं.: तारीख :

अधिनियम/नियमों के उपबंध **:**

(धारा 62 के अधीन निर्धारण**)**

उद्देशिका - << मानक **>>**

पूर्वोक्त निर्दिष्ट सूचना को आपको अधिनियम की धारा 46 के अधीन उक्त कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए जारी किया गया था । विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों से यह पाया गया है कि आपने आज तक उक्त विवरणी प्रस्तुत नहीं की है ।

इसलिए, विभाग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर आप निर्धारित और आपके द्वारा संदेय रकम नीचे दिए गए अनुसार है :

प्रस्तावना :

दलील, यदि कोई हो :

चर्चा और निष्कर्ष :

निर्णय :

निर्धारित और संदेय रकम (ब्यौरे उपाबंध पर) :

(रकम रुपए में)

क्र.सं.	कर दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
			से	तक							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											

कृपया नोट करें कि ब्याज की संगणना आदेश पारित करने की तारीख तक की गई है । संदाय करते समय आदेश करने की तारीख और संदाय करने की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज की गणना भी की गई है और आदेश में कथित शोध्यों के साथ संदत्त किया गया है ।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप इस आदेश के तामील की तारीख से 30 दिन के अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करते हैं तो इस आदेश को प्रतिसंहृत किया गया समझा जाएगा ; अन्यथा पूर्वोक्त अवधि के पश्चात् बकाया शोध्यों की वसूली के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएगी ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

टिप्पण **-**

1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।
2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है ।
3. पूर्ति का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन सृजित की गई है ।"।

13. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के प्ररूप **जीएसटी एएसएमटी - 15** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**जीएसटी एएसएमटी - 15**

*[*देखें नियम *100(2)]*

संदर्भ संख्या : तारीख:

सेवा में,

_____ (जीएसटीआई/आईडी)

_____ नाम

_____ (पता)

कर अवधि **:** वित्त

वर्ष :

एससीएन संदर्भ संख्या : तारीख :

अधिनियम/नियमों के उपबंध :

(धारा 63 के अधीन निर्धारण)

उद्देशिका - << मानक >>

पूर्वोक्त निर्दिष्ट सूचना आपको इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने के बावजूद एक अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रूप में कारबार का संचालन जारी रखने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए जारी की गई थी ।

या

पूर्वोक्त निर्दिष्ट सूचना आपको उन कारणों को स्पष्ट करने के लिए जारी की गई थी कि आपको ..... अवधि के लिए क्यों न कर का संदाय करना चाहिए, चूंकि आपके रजिस्ट्रीकरण को ..... तारीख से धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है ।

और आपके द्वारा कोई उत्तर फाइल नहीं किया गया है या .... तारीख को आयोजित कार्यवाहियों के दौरान आपके प्रत्युत्तर पर सम्यकत: विचार किया गया है ।

विभाग में उपलब्ध सूचना के आधार पर, कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर निर्धारित और आपके द्वारा संदेय रकम नीचे दिए अनुसार है :

प्रस्तावना :

दलील, यदि कोई हो :

निष्कर्ष (कार्यवाहियों को समाप्त करने या मांग सृजित करने के लिए) :

निर्धारित और संदेय रकम :

(रकम रुपए में)

क्र.सं.	कर दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
			से	तक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											

कृपया नोट करें कि ब्याज की संगणना आदेश पारित करने की तारीख तक की गई है । संदाय करते समय आदेश करने की तारीख और संदाय करने की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज की

गणना भी की गई है और आदेश में कथित शोध्यों के साथ संदत्त किया गया है ।

आपको निदेश दिया जाता है कि तारीख .... तक संदाय करें, जिसके न किए जाने पर बकाया शोध्यों की वसूली के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएगी ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

टिप्पण -

1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।
2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है ।
3. पूर्ति का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन सृजित की गई है ।"।

14. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के प्ररूप **जीएसटी एएसएमटी - 16** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**जीएसटी एएसएमटी - 16**

*[*देखें नियम *100(3)]*

संदर्भ संख्या: तारीख:

सेवा में

_____ (जीएसटीआई/आईडी)

_____ नाम

_____ (पता)

कर अवधि : वित्त वर्ष :

अधिनियम/नियमों के उपबंध :

(धारा 64 के अधीन निर्धारण**)**

उद्देशिका - << मानक **>>**

मेरी सूचना में यह आया है कि ..... गोदाम (पता) में या .... में (पता और यान का ब्यौरा) खड़े किए हुए यान में ऐसे माल पड़े हैं, जिनको कोई लेखा-जोखा नहीं है और आप इन मालों का लेखा देने या मालों के ब्यौरे को उपदर्शित करने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुए थे । अत:, ऐसे मालों पर नीचे दिए अनुसार कर का निर्धारण करने के लिए मैं अग्रसर होता हूं ।

प्रस्तावना :

चर्चा और निष्कर्ष :

निर्णय :

निर्धारित और संदेय रकम (ब्यौरे उपाबंध पर) :

(रकम रुपए में)

क्र.सं.	कर दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
			से	तक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											

कृपया नोट करें कि ब्याज की संगणना आदेश पारित करने की तारीख तक की गई है । संदाय करते समय आदेश करने की तारीख और संदाय करने की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज की गणना भी की गई है और आदेश में कथित शोध्यों के साथ संदत्त किया गया है ।

आपको निदेश दिया जाता है कि तारीख .... तक संदाय करें, जिसके न किए जाने पर बकाया शोध्यों की वसूली के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएगी ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

टिप्पण -

1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।

2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है ।

3. पूर्ति का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन सृजित की गई है ।"।

15. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों में प्ररूप **जीएसटी सीपीडी - 02** में सारणी और सारणी के नीचे टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित सारणी और टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**क्रम सं.**	अपराध	अधिनियम	शमनीय रकम **(**रुपए**)**
(1)	(2)	(3)	(4)

टिप्पण: (1) यदि कराधेय व्यक्ति द्वारा पारित किया गया अपराध स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट एक से अधिक श्रेणियों में आता है, तो शमनीय रकम वह रकम होगी, जो स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, जो उन प्रवर्गों के सामने विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम होंगी, जिनमें शमनीय किए जाने वाले अपराध को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है ।

(2) *इस रकम को गौण शीर्ष "अन्य" में जमा किया जाएगा ।* " ।

[फा. सं. 20/06/17/2018-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017 तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 3/2009-केंद्रीय कर, तारीख 29 जनवरी, 2019 द्वारा सा.का.नि. सं. 63(अ) तारीख 29 जनवरी, 2019 द्वारा किया गया था ।